114

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्र0क0 II/निगरानी/श्योपुर/भू0रा0/2018/2264

बादामीबाई पत्नी रमेश जाति मीणा निवासी ग्राम कुंडा तह0 व जिला श्योपुर ....आवेदक

बनाम

1—म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर महोदय श्योपुर म0प्र0

2—देवीराम पुत्र मंगया जाति माली निवासी ग्राम कुंडा तहसील व जिला श्योपुर म0प्र0

..........................अनावेदक

श्री श्रीकृष्ण शर्मा अभि0 आज दि. 6-4-18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 23-4-18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट 6-4-18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

निगरानी विरूद्व आदेश दिनांक 13/03/2016

न्यायालय श्रीमान अपर कलेक्टर महो0 श्योपुर के प्र0क0 99/10-11

स्व0 निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959

श्रीमान जी,

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में निम्नलिखित प्रस्तुत है –

1— यह कि ग्राम अजापुरा तह0 व जिला श्योपुर में स्थित कृषि भूमि सर्वे क0 5/1 ख रकवा 10 बीघा 2.090 है0 अनावेदक क0 2 देवीराम भूमि स्वामी व आधिपत्य धारी थे।

2— यह कि विवादित भूमि को अनावेदक क0 2 द्वारा आवेदक को 12 वर्ष पूर्व एक मुश्त रकम 25,000रू0 लेकर हमेशा हमेशा के लिये मौखिक अनुबन्ध से जुता दी थी तभी से आवेदिका विवादित भूमि पर काबिज होकर कास्त करती चली आ रही है आवेदिका को मौरूषी हक प्राप्त हो चुके है।

3— यह कि विवादित भूमि पर आवेदिका को मौरूषी हक प्राप्त होने पर आवेदिका द्वारा तहसीलदार महोदय श्योपुर के समक्ष एक आवेदन पत्र धारा 169, 190 व 110 के अन्तर्गत भूमि स्वामी स्वत्व पर नामान्तरण किये जाने हेतु प्रस्तुत किया जो प्र0क0 02/99–2000 x अ/46 पर पंजीबद्व किया जाकर विधिवत कार्यवाही कर पारित आदेश दिनांक 03/06/2000 द्वारा आवेदिका का भूमि स्वामी स्वत्व पर अनावेदक क0 2 देवीराम के स्थान पर नामान्तरण किये जाने का आदेश पारित किया गया जिसका अमल पटवारी कागजात में किया गया।

2

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक–दो / निगरानी / श्योपुर / भू.रा. / 2018 / 2264

बादामी बाई विरूद्ध म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर व अन्य

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
17-06–2019	प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला–श्योपुर के प्रकरण क्रमांक 99 / 2010–11 / स्व–निगरानी में पारित आदेश दिनांक 19–11–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण चम्बल संभाग, मुरैना के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 06–08–2019 को आयुक्त के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। 17/6/19 (आर0के0 जैन) सदस्य	